Research Report Brief 3

MANAGE- Centre for Agricultural Extension Innovations, Reforms and Agripreneurship

January, 2018

ज्ञान प्रबंधन एवं उत्पादक संगठन

दीपा सिंह, सुचिरादीप्ता भट्टाचार्जी और सरवनण राज

परिचय : ज्ञान प्रबंधन एक कला है जो, बौद्धिक संपदा एवं सूचना में, किसी भी संगठन में पहचान, प्राप्ति, सृजन एवं आदन प्रदान के द्वारा मूल्य बढ़ाकर परिवर्तन ला सकता है। उत्पादक संगठन वह वैध रूप है जो कि प्रधान उत्पादों जैसे किसान, दूध उत्पादकों, मछुवारों, बुनकारों, ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिति में सुधार, अपने सदस्यों के उत्पादों का प्रसंस्करण कर विपणन करना है। उत्पादक संगठनों में ज्ञान प्रबंधन प्रचुर मात्रा में सूचना का प्रबंध कर प्राप्त सूचना के आधार पर निर्णय लेने में समर्थन प्रदान करता है। तद्वारा वे सदस्यों में उपलब्ध दक्षता को पहचान कर नीति निर्णयन करने, बाजारों को एकजुट करने, संयुक्त लेनदेन, ज्ञान प्रबंधन एवं आदान प्रदान कर सकते है। यह अध्ययन निम्न के लिए किए गए है।

- पीओ के बीच केएम प्रक्रिया को समझें
- संगठनों पर केस स्टडी एवं स्वॉट (SWOT) विश्लेषण करता है।

विधि : विश्लेषणात्मक अनुसंधान रूपरेखा को अपनाया गया है जिसके द्वारा चुने गए उत्पादक संगठनों के ज्ञान प्रबंधन की जाँच की गयी। अपने देश में अधिकांश उत्पादक संगठनों के रजस्ट्री करने के कारण उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है और इस लिए अध्ययन हेतु इस राज्य को चुना गया है। आंकड़ों का संकलन उत्तर प्रदेश के पांच जिलों यथा पिलिभित, बरेली, देवरिया, खुशीनगर और आगरा में स्थित आठ उत्पादक संगठनों में किया गया है। उत्पादक संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों /(सीईओ) अध्यक्षों का गहरे साक्षात्कार किए गए।

परिणाम और चर्चा :

उत्पादक संगठनों में ज्ञान प्रबंधक की प्रक्रिया: इस अध्ययन में आठ उत्पादक संगठनों में अर्जन, संगठन, भंडारण के तहत ज्ञान प्रबंधन अध्ययन किया गया।

1. **ज्ञानर्जन:** अधिकांश संगठन ज्ञान अर्जित करने का ही प्रयास किया जो कि उनके उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे दुग्ध उतपादन कंपनियों की चिंता केवल कृत्रिम गर्भाधान एवं संतुलित रोटेशन संबंधी ज्ञान प्राप्त करने पर होता है, जबकि उद्यान कृषि में पॉली हाऊस एवं उर्वरक सूचना पर केन्द्रित होता है। परंतु किसी भी संगठन का समग्र विकास हर विषय पर ज्ञानार्जन पर केंद्रित है। उत्पादक संगठनों में ज्ञानार्जन के विभिन्न श्रोतों में राज्य कृषि विश्वविद्यालय है जैसे गोविन्द वलभव पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय (कानपुर) (CSAUAT) आई सी ए आर - राष्ट्रीय पशुचिकित्सा अनुसंधान आदि जहाँ कि नवीन एवं अनुसंधान की गयी सूचना प्रदान की जाती है और उकने पाास आने वाले अन्य उत्पादों के साथ लिंक जोड़ते है: राज्य कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि विभाग आदि सरकारी योजनाओं के लाभ संबंधी सूचना, उत्पादक संगठनों द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ, पुस्तक, सीडी, इंटरनेट और सोशल मीडिया दौरा कार्यक्रम, किसान मेले एवं सर्वेक्षण है।
2. **ज्ञान का संगठन :** ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगली आवश्यकता ज्ञान संगठन का है। सैद्धांतिक तौर पर ज्ञान को संगठित करने में, प्राप्त ज्ञान का पहले मूल्यांकनप्रमाणीकरण / किया जाएगा ताकि ज्ञान की शुद्धता एवं मूल्य का उसकी उपयोगिता से पूर्व आश्वासन किया जा सके और इसका वर्गीकरण एक ढाँचे में इंडेक्सिंग और मैपिंग के सहित दर्शाया जा सके।परंतु कई संगठनों में यह कदम लुप्त हो रहा है। ज्ञान के संगठित रूपक नाम पर हमें केवल कुछ करपत्र या कुछ डैटाबुक मात्र पाए जाते है, उसे भी ज्ञान के स्रोत के रूप में सुरक्षित नहीं रखा जाता। इसकी वजट यह हो सकता है कि अधिकांश प्रोड्यूसर कंपनियों अभी अभी उभर रहे है, उनका केन्द्र वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने पर रहता है और ज्ञान संगठन पर ध्यान नहीं रहता परंतु ज्ञान का संगठन प्रारंभ से ही करते हैं तो वे दीर्घकाल में उन्नति करेंगे।

3 **ज्ञान का भंडारण** : ज्ञान स्थिरता निरंतर एवं गतिशील होता है। ज्ञान का किसी एक जगह सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, यह भूल जाने, अनुपयोगी रहने, व्यक्तियों के बदलने इत्यादि कारणों से आसान से खो जाता है। ज्ञान का भंडारण केवल कुछ ही उत्पादन कंपनियों में पुस्तक, रिपोर्ट, सीडी, सॉफ्ट कॉपी के रूप में और रिकार्ड जैसे उत्पादन, बिक्रि, इनपुट इत्यादि, पैम्पलेट और लीफलेट

के रूप में उपलब्ध है। कई उत्पादन संगठनों के ज्ञान को सुरक्षित रखने की बात सोच भी नहीं रहे है, उनके अनुसार ज्ञान जब किसानों को दिया जाता है वह उनके साथ हमेशा रहता है जिसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है।

4 **ज्ञान का आदान-प्रदान** : ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु उपयोग की जा रही विधियों में सदस्यों की आवश्यकता अनुसार कार्यशालाएं चलाना, विशेषज्ञों एवं के वी के वैज्ञानिकों द्वारा दौरे, ई-हब जैसे इंटरनेट का उपयोग, जागरूकता अभियान चलाना, स्थानीय जन संपर्क विधियों जैसे हाट और कटपुतलियों का प्रदर्शन इत्यादि है।

स्वाट (SWOT) विश्लेषण : स्वाट विश्लेषण में व्यवस्वीकृत विचार एवं नए उत्पादन, तकनीक, प्रबंधन एवं योजना का समग्र विश्लेषण किया जाता है। अध्ययन किए गए उत्पादन संगठनों का स्वॉट विश्लेषण निम्नानुसार है।

शक्ति (स्ट्रेन्थ) : इसमें संगठन की सफलता सभी संसाधन समाहित है। उत्पादक संगठनों की शक्ति में कार्य ढाँचे में यथा बोर्ड सदस्य, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आते है। सभी अधिकारी सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, जिससे पारदर्शिता एवं विश्वास बना रहता है। हर छःमाही में अर्ध वार्षिक सामन्य बैठकें आयोजित की जाती है जिसमें सभी क्रियाक्लाप, लेन-देन पर सूचना देकर विचार विमर्श किया जाता है और सभी सदस्यों को सुझाव देने का हक रहता है। इससे उत्पादक संगठनों की शक्ति बढ़ती है। एफ पी ओ एस की इन व्यापार नमूने का मुख्य उद्देश्य किसानों में व्यापार कौशलों को बढ़ाना और न्यूनतम 10 प्रतिशत किसान सदस्यों की भागीदारिता के साथ व्यापक व्यापार नमूनें विकसित किए जाते है। राज्य के विभिन्न एफ पी ओ के बीच समन्वय से

एक दूसरे के जुड़ सकते है और विपणन संबंधी समस्याओं को कुछ हद तक निवारण कर सकते है। उदाहरण स्वरूप दो क्षेत्रों के एफ पी ओ एक दूसरे के उत्पादन का विपणन करने में मददगार साबित होगा जिससे विचौलियों को हटाकर विपणन लागत को कम कर सकते हैं।

दुर्बलता (वीकनेस) : यह किसी भी कंपनी को उसकी अत्यधिक कार्यनिष्पादन में बाधा डालने वाले कारक है। एफ पी ओ में समस्या किसानों को किसान हित समूहों में एक जुट करना है क्योंकि अधिकतर किसान इन समूहों में विश्वास नहीं रखते है। इन्हें वित्तीय सहायता भी प्राप्त नहीं है प्रारंभ में नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी पर अब वह भी नहीं है। अपने देश में उत्पादन संगठनों के लिए सरकारी मदद बहुत कम मिलता है जिससे कृषि उत्पादन विपणन समिति (AMPC) से लाइसेन्स प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह यह बताया जाता है कि पारंपरिक सहकारी संस्थानों को कई प्रमाण पत्र दिए जा चुके है और उत्पादक कंपनियों को इस प्रकार लाइसेन्स देने का कोई विधिगत प्रावधान नहीं है। राज्य या केंद्र सरकारों से कोई गैरेंटी नहीं होने के कारण बैंक भी इन कंपनियों को ऋण नहीं देते हैं।

अवसर (Opportunity): अवसरों का यहाँ अर्थ उन बाहरी कारकों से है जिनका उपयोग कर संगठन प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करता है। उत्पादक कंपनियों के पास ऐसे कई कारक है जैसे अपने स्वयं के शर्तों के तहत परिचालन की स्वतंत्रता के कारण सरकारी नियंत्रण सीमित हो जाता है। वे किसी भी एक या कोई क्रियाकलापों की जिम्मेदारी ले सकता जो कच्चा माल खरीदने से लेकर अंतिम वस्तु को किसानों के दहलीज पर बेचने तक की सभी मूल्य जोड़ की गतिविधियॉ होगी जिससे किसान लाभान्वित होंगे। वे उत्तम विपणन एवं समर्थन के लिए अन्य कंपनियों/संगठनों के साथ संबंध जोड़ते है, वे सामूहिक कार्य पर बाजार भावों पर निर्णय ले सकते है, और उत्पादक कंपनियाँ, अपने सदस्यों के उत्पादनों का बेहतर विपणन हेतु गुणवता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

खतरे (THREATS): यह उन कारकों को बताता है जो किसी संगठन को नुकसान पहुँचाते है। विपणन मामले ही किसी भी उत्पादक संगठन के खतरे होते है। उत्पादकों के लिए नवीन तरीकों को ढूंढने की आवश्यकता है। अन्य खतरे हैं - आय कमाने हेतु उपयोग करने वाले विभिन्न स्रोतों पहचानने में सततत के मामले, सदस्यों को रिटेन करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा और उन्हें गुणवत्ता वाले उत्पादन देना और कंपनियों को राजनैतिक दखलंदाजी से एवं स्वामित्व से बचाना।

निष्कर्ष : छोटे एवं मझोले किसानों की समाज आर्थिक परिस्थितियों में सूधार लाने के लिए किसानों को संगठित करने में उत्पादक संगठन आशा की किरणें हैं। इनके पंजीकरण और स्थापना में कई अनुपालन होते है और भ्रष्टाचार और राजनैतिक दखलअंदाजी की गुजांइश बहुत कम होने के वाबजूद - नेतृत्व और सतता की समस्या अब भी है। किसानों को उत्पादक कंपनियों के रूप में संगठित करने की आवश्यकता है और नायक संगठन के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण देने /निदेशकों को बोर्ड के कंपनी /सी ई ओ / की आवश्यकता है। ज्ञान प्रबंधन भी इसमें मूख्य भूमिका निभाती है परंतु कई संगठन अब भी वित्तीय एवं सतता की समस्याओं से निपट रहे है अतज्ञान प्रबंधन को नजर अंदाज कर देते है। ज्ञान जैसे ही : प्राप्त हुआ उसका संरक्षण के बिना विस्तार किया जाता है उसका मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण नहीं किया संगठनों को प्रमाणीकरण के बाद :जाता जिससे क्षेत्र स्तर पर अनुपालन संबंधी समस्याएं होती है। अत ही ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। हर संगठन में प्रारंभ से ही ज्ञान प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है जो उन्हें दिशानिर्देश करती है और दीर्घकालीन लाभ प्राप्त कराती है।

सिफारिश :

- अत्यधिक लाभ प्राप्ति के लिए संगठन के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारिता के लिए किसानों को उत्पादक समूह के रूप में संगठित की आवश्यक है।
- सी ई ओ और निदेशकों को कंपनी चलाने पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है और उन्हें दीर्घकाल तक सतत बनाना है, इस प्रकार के प्रशिक्षणों का प्रावधान उत्पादक संगठनों की स्थापना संबंधी निर्देशसूत्रों में सम्मिलित करना होगा ।
- उत्पादक संगठनों के लाभों के बारे में किसानों के हित में शिक्षण अभियान चलाने चाहिए, सरकार द्वारा किसानों को उत्पाद संगठन प्रारंभ करने के लिए विज्ञान प्रसारित करना चाहिए।

Complete report on 'Knowledge Management and Producer Organizations' is available at www.manage.gov.in

Deepa Singh is a MANAGE Intern and Ph.D Research Scholar at Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Uttar Pradesh (deepasingh3216@gmail.com)

Suchiradipta Bhattacharjee is MANAGE Fellow at National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Rajendranagar, Hyderabad, Telangana, India (suchiradipta@hotmail.com)

Saravanan Raj is Director (Agricultural Extension) at National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Rajendranagar, Hyderabad, Telangana, India (saravananraj@hotmail.com)

The research report is based on the research conducted by Dr. Deepa Singh as MANAGE Intern under the MANAGE Internship Programme for Post Graduate students of Extension Education.

Correct citation: Deepa, S., Suchiradipta, B., and Saravanan, R. 2018. Knowledge Management and Producer Organizations. Research Report Brief 3, MANAGE-Centre for Agricultural Extension Innovations Reforms and Agripreneurship (CAEIRA), National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad, India.

Disclaimer: The views expressed in the document are that of the authors based on the research conducted and are not necessarily those of MANAGE or the officials interacted with during the study.

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)
(कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन)
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030,
तेलंगाना राज्य, भारत www.manage.gov.in